न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़ (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी परसाराम (आर.ए.एस)

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 1821 सन् 2021

अनुवानी

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार किशनगढ़
बनाम
....

—: आदेश :—

तहसीलदार किशनगढ़ द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 व नियम 53, 59, 60, 66 86 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1957 मय दस्तावेजात् नकल जमाबन्दी, नकल नक्शा, मौका रिपोर्ट पटवार व भू–अभिलेख निरीक्षक, परिशिष्ट – ''ए'' एवं अभिशंषा तहसीलदार किशनगढ़ का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन किया गया जिसके अनुसार ग्राम **कुचील** तहसील किशनगढ़ के खसरा नम्बर 967 रकबा 46.5499 हैक्टेयर किस्म चारागाह में से रकबा 0.6480 हैक्टेयर भूमि मे मौके पर रास्ता चालू है। परन्तु राजस्व अभिलेख एवं राजस्व नक्शें मे उक्त रास्ते का अंकन नही है। सम्बन्धित पटवारी ने अपनी मौका रिपोर्ट पर उक्त रास्ता काफी पुराने समय से चालू बताया है। साथ ही तहसीलदार किशनगढ़ ने उक्त रास्ते को राजस्व अभिलेख में गैर मुमकिन रास्ता अंकित करने हेतु स्पष्ट अभिशंषा की है। **श्रीमान जिला कलक्टर महोदय अजमेर के पत्रांक/कअ/राजस्व/2021/9718–46 दिनांक 17.08.2021 द्वारा चारागाह भूमि से गुजर रहे/चारागाह भूमि में स्थित रास्ते बाबत् दिये गये निर्देशानुसार राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131, 132 के तहत् राजस्व मानचित्र में किस्म ''गै0मु0 रास्ता/गै0मु0 सड़क'' अंकित कर तरमीम की जावे, लेकिन इसे चारागाह खाते में ही रखा जावे।** इस प्रकार तहसीलदार किशनगढ़ की अनुसंशा अनुसार यह प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य होने से स्वीकार किया जाकर तहसीलदार किशनगढ़ को निर्देशित किया जाता है कि **श्रीमान जिला कलक्टर महोदय अजमेर के पत्रांक/कअ/राजस्व/2021/9718–46 दिनांक 17.08.2021 द्वारा दिये गये निर्देशानुसार** ग्राम **कुचील** तहसील किशनगढ़ के खसरा नम्बर 967 रकबा 46.5499 हैक्टेयर किस्म चारागाह में जा रहे चालू रास्ते रकबा 0.6480 हैक्टेयर भूमि का अंकन राजस्व रिकार्ड एवं राजस्व नक्शे में गै0मु0 रास्ता के नाम से करावे।

यह आदेश आज दिनांक 25/10/2021 को [illegible] व न्यायालय मुद्रा से जारी किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Parsa Ram
Date: 2022.02.09 14:02:33 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)